गुरनाम सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक.

अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत

और अन्य (न्यायधीश उमा नाथ सिंह)

न्यायधीश उमा नाथ सिंह व न्यायधीश ए.एन. जिंदल के समक्ष।

गुरनाम सिंह, -अपीलकर्ता

बनाम

प्रधान अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत व अन्य-प्रतिवादी

एलपीएएनओ.218 0एफ 2008 आईएन

~सी.डब्लू.पी. 2004 की संख्या 5318

14 जनवरी, 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- धारा 25-जी- दैनिक वेतनभोगी की सेवाओं की समाप्ति- छंटनी- याचिकाकर्ता के कनिष्ठों मे से दो को विभाग में बरकरार रखा गया है और वे अभी भी काम कर रहे हैं - धारा 25-जी का उल्लंघन - अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश के आदेश और श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया - मामले को नए विचार के लिए श्रम न्यायालय में भेज दिया गया।

यह निर्धारीत किया गया कि मांग नोटिस में, साथ ही दावे में, अपीलकर्ता ने दोहराया है कि अधिनियम की धारा 25-जी का उल्लंघन हुआ है, यहां तक कि उसके कनिष्ठो में से दो, अर्थात्, सुल्तान और महावीर, को बरकरार रखा गया, जबकि उन्हें छंटनी का सामना करना पड़ा। हालाँकि, अपील के लिखित बयान में इस कथन का खंडन किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता से कनिष्ठ किसी भी कर्मचारी को नहीं रखा गया था, जबकि अपीलकर्ता को हटा दिया गया था। राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत, एक प्रबंधन गवाह ने अपने बयान में स्वीकार किया है: "यह सही है कि महावीर और सुल्तान हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे दावेदार से कनिष्ठ हैं या वरिष्ठ।'' अपीलकर्ता भी इस रुख को अपनाने में बहुत सुसंगत रहा है और लेबर के समक्ष अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्य को दोहराया है कि महाबीर और सुल्तान, जो की उसके कनिष्ठ है, अभी भी विभाग में काम कर रहे थे। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 18 जनवरी, 2008 का आक्षेपित निर्णय

और 14 नवंबर, 2003 को श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला भी टिक नहीं सकता, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है। (पैरा) 7, 8 और 10)

सुश्री आभा राठौड़, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर ।

सुश्री रितु बाहरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

न्यायधीश उमा नाथ सिंह

<u>सी.एम.नं. 762 ऑफ 2008</u>

(1) सी.एम. नं 2008 की संख्या 762 (विलंब की माफी के लिए आवेदन) पर विचार किया गया और अनुमति दी गई, परिणामस्वरूप, अपील दायर करने में 123 दिन की देरी माफ की गई।

<u>एल.पी.ए. नं 218 आफ 2008</u>

(2) पक्षों के विद्वान वकील को सुना और दलीलों का अवलोकन किया।

(3) यह एल.पी.ए. 2004 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5318 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18 जनवरी 2008 के निणृय, के खिलाफ दरज की गई है, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 25-जी व धारा 25-एच के प्रवर्तन के लिए दलीलों में कोई सार नहीं पाए जाने पर याचिका को खारिज कर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि चूंकि कामगार एक विशिष्ट परियोजना पर काम कर रहा था, इसलिए, उस परियोजना के पूरा होने के बाद, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था।

(4) ऐसा प्रतीत होता है कि कामगार एक विशिष्ट परियोजना पर काम कर रहा था। 1 जनवरी, 1986 को बस क्यू शेल्टरों के निर्माण के लिए उपायुक्त, करनाल द्वारा अनुमोदित दर पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में हरियाणा रोडवेज, करनाल में एक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया।

उन्होंने 26 दिसंबर, 1988 तक रुक-रुक कर काम किया। इसके बाद, उन्हें छँटनी का सामना करना पड़ा और उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। उन्होंने 3 जून, 1993 को एक मांग नोटिस दिया और उसके बाद 20 नवंबर, 1998 को दावा विवरण पेश किया। 14 नवंबर, 2003 के फैसले के तहत श्रमिक के दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि श्रमिक यह साबित नहीं कर सका कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक लगातार काम किया था। 1998 के संदर्भ संख्या 11 में श्रम न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसे आक्षेपित आदेश के माधयंम से खारिज कर दिया गया और इस प्रकार, विद्वान श्रम न्यायालय, पानीपत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की गई।

(5) अपीलकर्ता-कर्मचारी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-जी और 25-एच के उल्लंघन के संबंध में एक विशिष्ट दलील रिट याचिका में ली गई थी, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच के संबंध में अपने निष्कर्ष लौटाए हैं और आक्षेपित निर्णय धारा 25-एफ के आवेदन के बारे में मौन है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कानून में तय स्थिति के अनुसार धारा 25-जी के आवेदन के लिए, सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 5552 ऑफ़ 1997 (बलराज बनाम हुडा व अन्य) जो कि दिनांक 18 दिसंबर 1997 को पास किया गया था तथा उस पर आधारित अन्य निर्णयों में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के अनुपात के संदर्भ के अनुसार, एक कर्मचारी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक लगातार काम किया है। इस प्रकार, विद्वान वकील ने अनुरोध किया कि इस एल.पी.ए. को अनुमति दी जानी चाहिए और आक्षेपित निर्णय, और उसके साथ ही पुरस्कार, को इस निर्देश के साथ रद्द करना चाहिए कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए श्रम न्यायालय में भेजा जाए।

(6) दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने कहा कि मांग नोटिस की तामील करने, दावा पेश करने और साथ ही रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी हुई, जिससे यह आभास होता है कि काम करने वाला व्यक्ति अपना दावा दायर करने में काफी ढीला है। विद्वान राज्य वकील का यह भी कहना है कि एक बार जब कामगार यह बताने में विफल रहता है कि उसने 240 दिनों तक लगातार काम किया है, तो अधिनियम की धारा 25-जी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(7) प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और अभिलेखों के अवलोकन पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि मांग नोटिस में, साथ ही दावे में, अपीलकर्ता ने दोहराया है कि अधिनियम की धारा

25-जी का उल्लंघन हुआ है। यद्यपि उनके कनिष्ठों मे से दो, अर्थात् सुल्तान और महावीर, को बरकरार रखा गया, जबकि, उन्हें छंटनी का सामना करना पड़ा। हालाँकि, इस कथन को अपील के लिखित बयान (अनुलग्नक पी-5) में अस्वीकार कर दिया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता से कनिष्ठ किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा गया था, जबकि अपीलकर्ता को हटा दिया गया था।

(8) राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत, एक प्रबंधन गवाह अर्थात् योगराज सिंह, क्लर्क, हरियाणा रोडवेज, करनाल, ने अपने बयान (अनुलग्नक पी-7) में स्वीकार किया है; "यह सही है कि महावीर और सुल्तान हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह पता है कि वे दावेदार से कनिष्ठ या वरिष्ठ हैं"। अपीलकर्ता भी इस रुख को अपनाने में बहुत सुसंगत रहा है और श्रम न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य (अनुलग्नक पी-6) में, उन्होंने इस तथ्य को दोहराया है कि महावीर और सुल्तान, जो कि उनके कनिष्ठ थे अभी भी विभाग में कार्यरत हैं।

(9) इसके अलावा, हम बलराज बनाम हुडा और अन्य के मामले में दो जजों की खंडपीठ के उपरोक्त फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत:

".....इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से निवेदन किया था कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखा गया था। उन्होंने मौखिक वक्तव्य द्वारा इस दलील का समर्थन किया। इस तरह, उन्होंने साबित कर दिया कि नियोक्ता की कार्रवाई प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 25-जी का उल्लंघन थी। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले को खारिज करने के लिए सबूत पेश नहीं किए। हालाँकि, श्रम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 25-जी के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। इसने इस निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया है कि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को उसकी सेवा की समाप्ति के समय रोजगार में नहीं रखा गया था। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि श्रम न्यायालय सही परिप्रेक्ष्य में और इस आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति की वैधता और औचित्य तय करने के लिए अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है। विवादित पुरस्कार रद्द किए जाने योग्य है।

उपरोक्त उल्लिखित निष्कर्ष के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता की याचिका सहित पक्षों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं जिसमें यह भी शामिल है कि उसने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली थी। हमारी राय में, इस न्यायालय के दिनांक 16 दिसंबर, 1997 के

फैंसले सी.डब्लयू.पी नं 2375 ऑफ़ 1997 'राजपति बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य।' के आलोक में इसे श्रम न्यायालय द्वारा नए सिरे से तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और श्रम न्यायालय, पानीपत को इस निर्देश के साथ पुरस्कार अनुबंध पी-6 को रद्द करते हैं कि वह 1996 के सन्दर्भ में क्रमांक 56 पर नये सिरे से पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय लें। हमें उम्मीद है कि श्रम न्यायालय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के 4 महीने के भीतर मामले का फैसला करेगा..... "

(10) इस प्रकार, हमारा विचार है कि 2004 की सिविल रिट याचिका संख्या 5318 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18 जनवरी 2008 का आक्षेपित निर्णय और श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2003 को दिया गया निर्णय भी टिक नहीं सकता। इसलिए, उन्हें अलग रखा जाता है। परिणामस्वरूप, इस एलपीए की अनुमति दी जाती है और पक्षों को एक समय के भीतर सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को 1998 के संदर्भ संख्या 11 में नए सिरे से विचार और निर्णय के लिए श्रम न्यायालय, पानीपत को भेज दिया जाता है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने की सीमा। हालाँकि, निर्णय में की गई किसी भी चर्चा या टिप्पणी को संदर्भ को नए सिरे से तय करने में हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

(11) पक्ष श्रम न्यायालय, पानीपत के समक्ष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय की गयी ता.रीख पर उपस्थित होंगे।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा